न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **86/25 (वाद)**

GCMS No. : 2025/175

1. श्री कंकुलाल मेहता पिता श्री रामनारायण मेहता ब्राहम्ण, आयु 57 वर्ष, निवासी नूरडा तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम

1. श्री रमेशचन्द्र पिता श्री सोहनलाल ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती लीलाबाई पुत्री श्री सोहनलाल ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती कमलाबाई पुत्री श्री सोहनलाल ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री कन्हैयालाल पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा. तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री कौशल कुमार पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व० श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा. तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती गिरिजा जोशी पुत्री श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
8. श्री जसवन्त पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आय् वयस्क निवासी नरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
9. श्रीमती ताराबाई पुत्री श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
10. नरेश पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
11. श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरडा तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भ[illegible]ारी) घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

13. पटवारी, पटवार हल्का नूरड़ा, तहसील पासा, जिला–उदयपुर (राज०)

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जितेन्द्र नागदा, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 16.06.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नूरड़ा, पटवार क्षेत्र–नूरड़ा, भू०अ०नि० क्षेत्र भीमल तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 913, 916, 917 किता 3 कुल रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 11 के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादी के नाम 1/216 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक के नाम 1/72 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 4 से 11 प्रत्येक के नाम 1/216 हिस्से से खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि तत्कालिन समय में अर्थात वर्ष 2017 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता सोहनलाल पिता भंवरलाल ब्राहम्ण एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के पिता/पति रामनारायण पिता भंवरलाल ब्राहम्ण जो दोनो सगे भाई थे, दोनो भाईयों के नाम राजस्व रेकर्ड में सोहनलाल व रामनारायण प्रत्येक के नाम 1/24 हिस्से से खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। सोहनलाल व रामनारायण की मृत्यु हो चुकी है। सोहनलाल एवं रामनारायण की विरासत से उक्त भूमि उनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 11 जो इस वाद में प्रतिवादीगण है, के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।
2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के पिता/पति द्वारा उनके जीवनकाल में अर्थात वर्ष 2017 में वादवर्णित भूमि में अपना अपना 1/24 हिस्सा अर्थात संयुक्त रूप से 2/24 हिस्सा मुझ वादी को बिल एवज रूपया 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपया में विक्रय कर दिया जिसे मुझ वादी द्वारा प्रतिफल राशि अदा कर प्रतिवादीगण के पिता/पति से खरीद किया गया और सोहनलाल व रामनारायण जी ने अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा भूमि मुझ वादी को विक्रय कर मुझ वादी के पक्ष में विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्र लिख सम्पादित कर विक्रयपत्र का पंजीयन दिनांक 11–12–2017 को करा दिया व विक्रयशुदा हिस्सा भूमि का मुझ वादी को मौके पर भौतिक आधिपत्य सुपुर्द किया गया। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदशुदा हिस्सा भूमि का मैं वादी मालिक स्वामी हूँ।

3. यह कि वादवर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के पिता/पति से तत्कालिन समय में जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा हिस्सा भूमि जिस पर मुझ वादी ने विगत वर्षों पूर्व अर्थात खरीदते समय मौके पर कब्जा प्राप्त किया था, कब्जे प्राप्त हिस्से व कब्जे उपयोग उपभोग की भूमि में खरीद पश्चात् प्रतिवादींगण का कभी कोई हक दखल, अधिकार अथवा कब्जा नहीं रहा है, केवल मात्र उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीगणों के नाम पर नुमाईशी तौर पर दर्ज है। जबकि मैं वादी उक्त हिस्सा भूमि का क्रेता होकर खरीदशुदा भूमि पर खरीद पश्चात् मुझ वादी का निरन्तर निर्विवाद शान्तिपूर्वक हक अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है, तथा उपयोग उपभोग में है। मुझ वादी के बाहर निवासरत होने व अनभिज्ञता व अन्य दिगर कार्यों में वयस्त रहने की वजह से विगत वर्षों तक खरीदशुदा हिस्सा भूमि का नामान्तकरण अपने पक्ष में नहीं खुलवा सका व प्रतिवादीगण के पिता/पति का स्वर्गवास हो जाने से उक्त भूमि विरासत से प्रतिवादीगणें के नाम विधिक वारिस की हैसियत से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। उक्त खरीदशुदा हिस्सा भूमि का मैं वादी मालिक स्वामी व आधिपत्यधारी हूँ। केवलमात्र उक्त भूमि प्रतिवादीगणों के नाम पर नुमाईशी तौर पर दर्ज है, और प्रतिवादींगण का उक्त हिस्सा भूमि पर कोई कब्जा अधिकार नहीं है। न्यायहित में वादी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम हटवाकर उक्त प्रतिवादीगण के नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा भूमि अर्थात मुझ वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 4 से 11 के पिता/पति द्वारा तत्कालिन समय में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदशुदा 2/24 हिस्सा भूमि मुझ वादी के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी हक से दर्ज कराए जाने की घोषणा कराने एवं उक्त वादवर्णित कृषि भूमि को हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज कराने एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी हूँ।

4. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष[illegible]ला है, क्योंकि मुझ वादी द्वारा प्रतिवादींगण संख्या 1 से 11 के पिता/पति को वर्ष 2017 में विक्रय प्रतिफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

राशि अदा कर उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की व खरीद की गई भूमि का मौके पर कब्जा प्राप्त कर विगत वर्षों से हिस्से व कब्जे प्राप्त भूमि का निरन्तर निर्विवाद शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता हुआ आ रहा हूँ। मुझ वादी की खरीदशुदा भूमि जो मुझ वादी के हिस्से कब्जे व उपयोग उपभोग में है, मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं है, न कभी अधिकार अथवा कब्जा ही रहा है। केवलमात्र नुमाईशी तौर पर प्रतिवादीगणों के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जो गलत दर्ज है, सुविधा संतुलन एवं अशोधनिय क्षति के बिन्दु भी मुझ वादी के पक्ष में है।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 02–04–2025 को उत्पन्न हुआ जब मुझ वादी द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि की चालू जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि उक्त कृषि भूमि विरासत से प्रतिवादींगण के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, तब मुझ वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त खरीदशुदा भूमि मुझ वादी के नाम विक्रय कर खातेदारी में दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार कर गए व उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति को परिवर्तित करने की धमकी दी उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादींगण इस अमर की डिक्री प्रदान करायी जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक के नाम 1/72 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 4 से 11 प्रत्येक के नाम 1/216 हिस्से से खातेदारी में दर्ज है। जो वादी द्वारा तत्कालिन समय में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के पिता/पति से जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद की हुई होकर उक्त खरीदशुदा हिस्सा कृषि भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं है। उक्त कृषि भूमि केवलमात्र प्रतिवादीगण के नाम पर नुमाईशी तौर पर दर्ज है, जबकि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदशुदा हिस्सा कृषि भूमि का मैं वादी मालिक स्वामी हूँ। खरीदशुदा हिस्सा कृषि भूमि पर खरीद पश्चात् मुझ वादी का निरन्तर निर्विवाद शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है, तथा मुझ वादी के अधिकार आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग में है, जिस हेतु मैं वादी वर्तमान राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के नाम हटवा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ एवं वादवर्णित कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की घोषणा करा उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज कराने एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी हूँ।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने उपस्थित होकर वादी का वाद स्वीकार किये जाने बाबत नोटशिट पर अंकित किया। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 7, 9 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 06.05.2025 का पारित किया गया। दिनांक 03.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6, 8, 9 का वकालत पत्र मय स्वीकारात्मक जवाब अधिवक्ता श्री नाथूलाल गर्ग द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 से 13 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं कंकुलाल मेहता पिता श्री रामनारायण द्वारा उपस्थित होकर मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा नूरडा की नकल सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 94 प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2017 की प्रमाणित प्रति पेज 1 से 8 प्रदर्श 2, मौजा नूरडा की नकल जमाबंदी संवत 2065–68 प्रदर्श 3, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.17 असल पेज 1 से 6 प्रदर्श 4 एवं छायाप्रति पत्रावली प्रदर्श 4 ए करवाए गए। गवाह पीडब्ल्यू1 वादी स्वयं से अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारात्मक जवाब होने से साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करना चाहा।

8. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस सुनी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो एवं स्वीकारात्मक जवाब के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया गया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

9. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 3 ग्राम नूरडा पटवार [illegible] नूरडा तहसील मावली हाल घासा नकल जमाबंदी संवत 2065–68 के खाता संख्या 332 पर दर्ज आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purnadisp
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

913, 916, 917 किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि सोहनलाल, रामनारायण पिता भंवरलाल के नाम संयुक्त रूप से 2/24 हिस्सा दर्ज था तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज था। प्रदर्श 2 एवं 4ए रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 11.12.2017 अनुसार खातेदार सोहनलाल, रामनारायण पिता भंवरलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपना हक हिस्सा 2/24 अर्थात 1/12 हिस्सा वादी को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया गया। परन्तु उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियो द्वारा नामान्तरकरण पारित नही करने से वादग्रस्त भूमि विक्रेता सोहनलाल, रामनारायण के नाम ही दर्ज रह गई। तत्पश्चात विक्रेता सोहनलाल, रामनारायण का निधन हो गया। इनके निधन पश्चात राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर इनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम दर्ज कर दी गई। जिससे वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अंकित नही होकर विक्रेता सोहनलाल, रामनारायण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सोहनलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं विक्रेता रामनारायण के वारिस प्रतिवादी संख्या 6, 8, 9 द्वारा उनके मौरूस विक्रेता सोहनलाल एवं रामनारायण द्वारा वादग्रस्त भूमि विक्रय करना स्वीकार किया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2017 से भूमि का क्रय करते ही उक्त भूमि का खातेदार हो चुका था। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में ही अंकन नही किया गया। जो राजस्व कर्मचारियो की भूल है। वादी वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार है। विक्रेता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 6, 8, 9 द्वारा भी उनके मौरूस द्वारा उक्त भूमि का विक्रय किया जाना स्वीकार किया है। तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 10, 11 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही हुए। इससे जाहीर होता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अंकित करना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर [illegible] किया जाता है कि ग्राम नूरडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का नूरडा तहसील घासा नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 94 पर दर्ज आराजी नम्बर 913, 916, 917 किता 3 कुल रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से दर्ज है, के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2017 के तहत वादी को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री कंकुलाल मेहता पिता श्री रामनारायण मेहता ब्राहम्ण, आयु 57 वर्ष, निवासी नूरड़ा. तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम

1. श्री रमेशचन्द्र पिता श्री सोहनलाल ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती लीलाबाई पुत्री श्री सोहनलाल ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती कमलाबाई पुत्री श्री सोहनलाल ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री कन्हैयालाल पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा. तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री कौशल कुमार पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व० श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा. तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती गिरिजा जोशी पुत्री श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
8. श्री जसवन्त पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क निवासी नरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
9. श्रीमती ताराबाई पुत्री श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
10. नरेश पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
11. श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री रामनारायण ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी नूरडा तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
12. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिघारी) पासा, जिला–उदयपुर (राज०)
13. पटवारी, पटवार हल्का नूरड़ा, तहसील पासा, जिला–उदयपुर (राज०)

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न0 : 86/25 (वाद) GCMS No. – 2025/175</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम नूरडा पटवार हल्का नूरडा तहसील घासा नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 94 पर दर्ज आराजी नम्बर 913, 916, 917 किता 3 कुल रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से से दर्ज है, के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2017 के तहत वादी को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.06.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested